भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 638

23 जुलाई, 2025 के लिए प्रश्न

स्मार्ट पीडीएस योजना

638. श्री राव राजेन्द्र सिंहः

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्मार्ट-पीडीएस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित कम्प्यूटरीकृत डेटा अन्य सरकारी और गैर-सरकारी/निजी संगठनों को दिया जाएगा;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या डेटा के ऐसे प्रसार से सरकार को मुद्रा लाभ होगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त योजना के अंतर्गत पंजीकृत लाभार्थियों से ऐसे डेटा को अन्य संगठनों को हस्तांतरित करने से पहले कोई अनुमति ली जाएगी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क) और (ख): यह विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उन्नत एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला सॉफ्टवेयर के विकास और कार्यान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली में प्रौद्योगिकी के माध्यम से आधुनिकीकरण और सुधार स्कीम (स्मार्ट-पीडीएस)" का कार्यान्वयन कर रहा है। स्मार्ट-पीडीएस स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) से संबंधित कम्प्यूटरीकृत डाटा केवल भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों, विभागों और संगठनों को ही उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग): 80 करोड़ से अधिक पीडीएस लाभार्थियों से संबंधित डाटा के मुद्रीकरण के संबंध में इस विभाग की कोई योजना नहीं है।

(घ) और (ङ): विभाग भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों और विभागों के साथ डाटा साझा करने के संबंध में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम के तहत मानक दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है।

*****